संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै.

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन,
वित्त विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक 10 मार्च, 2021

विषयः- आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक में कराये जाने वाले एकमुश्त प्रावधानों के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-31 एवं 94 की व्यवस्थायें निम्नवत् हैंः-

Para 31. Lump provision to be avoided - Lump provisions should not, as a rule, be made in the estimates. In some cases, however, lump provisions become unavoidable. Except when the expenditure out of lump allotments is regulated by standing sanctions, instructions or rules, full explanation in justification of the provisions proposed, with indication of the principal items, should be given in the budget note and the working out of details should be started immediately after the amounts have been finally included in the budget so that there may be no delay in their examination and the issue of sanctions.

Para 94. Lump Provision - It has already been stated in para 31 of Chapter V that the working out of details for utilisation of lump provisions should be started immediately after the amounts have been finally included in the budget. After the details have been finally settled in consultation with the Finance Department, the administrative department shall obtain the approval of the Minister concerned and thereafter the approval of the Finance Minister and the Chief Minister. Only then the expenditure can be authorised by issue of necessary sanctioning orders copies of which should be supplied to the Accountant General under the signature of an officer of the Finance Department.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एकमुश्त व्यवस्था से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण बजट में व्यवस्था होने के तुरन्त बाद तैयार कर लेना चाहिये, ताकि उनके परीक्षण व स्वीकृतियां जारी होने में विलम्ब न हो।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक में बजट अनुमानों के सम्मिलित होने के तत्काल बाद विभागीय अनुदानों में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना (प्रत्येक कार्य की लागत तथा वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले अनुमानित व्यय सहित) सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विलम्बतम आगामी वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक निम्नानुसार अंतिम कर ली जाये-

(1) यदि एकमुश्त व्यवस्था की राशि रू0 10 करोड़ से अनधिक है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य योजना पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) एकमुश्त व्यवस्था की राशि रू0 10 करोड़ से अधिक परंतु रू0 25 करोड़ से अनधिक होने की दशा में कार्य योजना पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) एकमुश्त व्यवस्था की राशि रू0 25 करोड़ से अधिक होने की दशा में कार्य योजना पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्तानुसार अनुमोदित कार्य योजना के अभाव में एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृति के प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

3- उपरोक्तानुसार अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः-2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/ 2002-ब0मै0 दिनांक 21-11-2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्गत की जायेगी। किसी परियोजना/योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति एक बार उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अंतर्गत निर्गत कर दिये जाने के उपरांत पुनः उस योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये प्रस्तर-94 के अंतर्गत अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4- यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021-बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/ समस्त अनुभाग।
3. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in